भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1514

बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

ज्वारीय ऊर्जा क्षमता

1514. श्री मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में महासागरीय ऊर्जा की क्षमता और इसकी दोहन क्षमता का आकलन किया है, यदि हां, तो इस संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने महासागरीय ऊर्जा की आर्थिक व्यवहार्यता और लाभों का निर्धारण करने के लिए कोई आकलन कराया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान महासागरीय ऊर्जा के अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महासागरीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ज्वारीय विद्युत के लिए अक्षय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (आरई-आरटीडी) के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित अनुसंधान और विकास/प्रायोगिक परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की देश में नए महासागरीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने की कोई योजना/योजनाएं/पहल हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) मंत्रालय ने, दिसम्बर, 2014 में देश में 12,455 मेगावाट की ज्वारीय विद्युत संभाव्यता और 41,300 मेगावाट की तरंगीय विद्युत संभाव्यता का आकलन किया है। देश में, महासागरीय ऊर्जा की दोहन संभाव्यता का आकलन नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अब तक, मंत्रालय द्वारा कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

(घ) जी, नहीं। महासागरीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र अभी भी आर एंड डी अवस्था में है।

(ङ) आरई-आरटीडी कार्यक्रम के तहत मंत्रालय को 22 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। दो प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया है।

(च) आरई-आरटीडी कार्यक्रम में, महासागरीय ऊर्जा सहित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की व्यापक स्थापना हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। मंत्रालय सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को 100 प्रतिशत तक और उद्योग, स्टार्ट-अप्स, निजी-संस्थानों, उद्यमियों एवं निर्माण ईकाइयों को 70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*****